न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/1/2011	2011/00007	03.08.2011	08.10.2021

01–प्रभूसिंह पोसवाल पुत्र स्व0फतेहसिंह पोसवाल जाति गुर्जर निवासी रामगढ (अलवर) हाल–निवासी मानसरोवर कॉलोनी चुंगी रोड, काला कुंआ हाऊसिंग बोर्ड अलवर।

–निगरानीकर्ता

बनाम

01–किशन सिंह पुत्र स्व0फतेहसिंह पोसवाल जाति गुर्जर निवासी रामगढ जिला अलवर।

–अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर दिनांक 16.05.2011 एवं निरस्त किये जाने आदेश व पट्टा संख्या–52 ग्राम पंचायत रामगढ

उपस्थितः–

01–श्री सुनील कुमार –वकील निगरानीकर्ता

02–मुकुट दायमा – अनिगरानीकार

–:निर्णयः–

वकील निगरानीकार ने विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ के आदेश दिनांक 16.05.2011 से व्यथित होकर निगरानी पेश की। निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पंचायत समिति में दिनांक 16.5.2011 को विकास अधिकारी महोदय ने दबाव में आकर गलत आदेश अपीलान्ट के अन्य भाई होना दर्ज कर उनको पक्षकार दर्ज नहीं करने की बात लिखकर अपील बेजा खारिज की है, जबकि पंचायत समिति स्वयं ही अन्य वारिसान को अपने स्तर पर नोटिस जारी कर सकती थी। ग्राम पंचायत रामगढ ने पट्टा जारी करते समय इस बात पर कतई गौर नहीं किया कि उक्त जायदाद जिसका अनिगरानीकार द्वारा पट्टा चाहा गया है वह पैतृक जायदाद है तथा अनिगरानीकार के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई जिससे यह साबित हो सके कि अनिगरानीकार किस तरह जायदाद का मालिक है। ग्राम पंचायत ने केवल मात्र गैर काबिज अनिगरानीकार के मिथ्या कथन के अनुसार कब्जें को आधार मानकर अनिगरानीकार के पक्ष में गलत तरीके से पट्टा जारी किया है जो काबिल खारिज है। विवादित जायदाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के दादा मंगलराम गुर्जर ने अपने जीवन काल में खरीद की थी तथा जिस जायदाद पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता स्व0 फतेह सिंह ने अपने जीवन काल मे सम्मलित परिवार की आय से निर्माण किया था। उक्त जायदाद में अपीलान्ट के हित निहित है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर

प्रमाणित फोटो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

न कर विवादित आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिनके छः पुत्र व एक पुत्री है जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को बखूबी रही है। ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने से पूर्व वारिसान को नोटिस जारी करने चाहिये थे किन्तु ग्राम पंचायत ने ऐसा न करके मात्र नोटिस बोर्ड पर आम सूचना चस्पा कर अन्य वारिसान की गलत आधार तामील होना मानकर पट्टा जारी कर दिया जबकि ग्राम पंचायत के पंच एंव अन्य सदस्यगण यह बखूबी जानते थे कि मृतक फतेह सिंह के कुछ वारिसान अलवर में निवास करते थे। ग्राम पंचायत ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि उन्होने सर्व सम्मति से निर्णय किया है कि उक्त जायदाद रेस्पोडेन्ट की स्वयं की है जबकि ग्राम पंचायत को उक्त पैतृक व अविभाजित जायदाद का पट्टा जारी करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर करना चाहिये था कि रेस्पोडेन्ट किशन सिंह किस प्रकार मालिक है। बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य के केवल मात्र कब्जे के आधार पर मालिक मानकर पट्टा जारी कर भारी कानूनी भूल की है। अतः निगरानी स्वीकार कर तहत आदेश पंचायत समिति रामगढ दिनांक 16.05.2011 एवं ग्राम पंचायत का आदेश व पट्टा संख्या 52 निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि पंचायत समिति ने दिनांक 16.5.2011 को मात्र विकास अधिकारी ने दबाव में आकर गलत आदेश अपीलान्ट के अन्य भाई होना दर्ज कर उनको पक्षकार दर्ज नहीं करने की बात लिखकर अपील बेजा खारिज की है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि को पैतृक भाईयों व बहनो को पक्षकार बनाना चाहिये था। इस स्तर पर यह अवधारणा ली जाने चाहिये कि उक्त विवादित भूमि पैतृक नहीं है। यदि भूमि पैतृक होती तो अन्य भाई भी पक्षकार बनते। नियम 157 राज0पंचायत राज अधिनियम 1996 के तहत कब्जाशुदा मकान या प्लाट का नक्शा पेश होने पर मकान के निर्माण अवधि व कब्जे की जांच करने पर जिसका मालिकाना स्वत्व व कब्जा पाया जाता है, उसी को पट्टा दिया जाता है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के आवेदन पर आम सूचना दिनांक 05.02.2006 जारी की थी और जब कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए तो पट्टा दिनांक 26.11.2007 को जारी कर दिया। पट्टा जारी करने के लिये कब्जा का आधार प्रमुख होता है इसलिये अप्रार्थी के हक में विधि सम्मत आधार पर पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 के तहत आबादी क्षेत्र में स्थित भूमि पर बने पुराने मकान के कब्जेदारी का आवेदन पत्र पर पट्टा जारी करने की व्यवस्था है और ग्राम पंचायत को गत पचास वर्षो में बनाये गये भवन के लिये 200/–रूपया चार्जेज प्राप्त करने का दायित्व है। उक्त नियम के तहत किसी दस्तावेज की जांच करने का दायित्व नहीं है। केवल सर्व साधारण को सूचना दी जाती है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी का कब्जा मानकर पट्टा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । इसलिये अपील मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष ने लिखित बहस पेश की। वकील प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निगरानी स्वीकार करने का कथन किया। वकील गैर निगरानीकार ने निगरानी खारिज करने का कथन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैर निगरानीकार द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ के समक्ष दिनांक 02.02.2006 को आवासीय प्लाट का पट्टा चाहने का आवेदन पेश किया। तत्पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रामगढ द्वारा गैर निगरानीकार को आवासीय पट्टा दिये जाने बाबत आम सूचना एवं कमिश्नर नियुक्ति जारी की। सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ ने अपने निर्णय दिनांक 05.7. 2006 में अंकित किया है कि " बैठक का कोरम पूर्ण है पूरी पत्रावली को बैठक के समक्ष पढकर सुनाई गई। ऐतराज नोटिस तामील होकर आ चुका है। किसी प्रकार का कोई ऐजराज नहीं आया। वार्ड पंचों की मौंका रिपोर्ट एवं बैठक में उपस्थित सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी की स्वयं की जायदाद है। नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जाता है।

ग्राम पंचायत रामगढ ने अपने निर्णय में ऐतराज नोटिस तामील का अंकन किया है। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकट होते है कि ग्राम पंचायत द्वारा किस व्यक्ति/किस दिनांक को ऐतराज नोटिस जारी किये गये इसका कोई अंकन पत्रावली में संलग्न नहीं है। इसी प्रकार विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ की पत्रावली में नोटिस क्रमांक 359 दिनांक 05.05.2011 जारी किये है उक्त नोटिस की तामील रिपोर्ट नोटिस पर अंकित नहीं है मात्र किशन सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न है जिस पर वाद की प्रतिलिपि एंव दस्तावेज दिलाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर किसी भी पक्षकार का कोई जवाब संलग्न नहीं है तहत अदालत ने पक्षकारों को बिना सुने आलौच्य आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्ट्या अपास्त योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 16.05.2011 व पट्टा संख्या 52 ग्राम पंचायत रामगढ अपास्त किया जाता है। प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को साक्ष्य एंव सुनवाई के समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ़ तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल के कम होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर